

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जनवरी 2014—पौष 30, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. 238-बाईस-स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत तथा ग्रामीण विकास (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) सेवा के सदस्यों की विभागीय पदोन्नति/सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा.”;

2. नियम 8 में,—

(एक) खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (एक) में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (दो) में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (घ) में, अंक तथा शब्द “35 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “45 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ज) में, उप-खण्ड (एक) में, अंत तथा शब्द "38 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "45 वर्ष" स्थापित किए जाएं.

(पांच) खण्ड (एक) के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“**टिप्पणी:** किसी भी दशा में समस्त प्रकार की छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी. अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्रमांक सी-3-11, दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी.

3. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“9 **निरहताएं.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरहता माना जा सकेगा.

(2) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु, अर्थात् पुरुष अभ्यर्थी के लिए 21 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष से पूर्व, विवाह कर लिया हो, किसी सेवा में नियुक्ति के लिए निरहित होगा.

(3) ऐसा कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए निरहित होगा जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो:

परन्तु ऐसा अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है, सेवा में नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए निरहित होगा : परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध मामला न्यायालय में लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

4. नियम 11 में,—

(एक) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए. अर्थात्:—

“(3) सीधी भर्ती के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत रिक्त पद उन अभ्यर्थियों के लिए, जो क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, आरक्षित रखे जाएंगे.

(दो) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(6) यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.

5. नियम 13 में, उप-नियम (3) में अंक और शब्द “15 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक और शब्द “16 प्रतिशत”, अंक और शब्द “18 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक और शब्द “20 प्रतिशत” तथा अंक और शब्द “33 1/3 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक और शब्द “36 प्रतिशत” क्रमशः स्थापित किए जाएं.

6. नियम 19 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए अर्थात्:—

टिप्पणी : गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-54-98-दो-ए(3) डी. ई. सी. दिनांक 19 मार्च 1999 के अनुसार अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) के लिए उच्च ग्रेड में तथा विकास खण्ड अधिकारी के लिए निचली ग्रेड में पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया विषय के साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है.

गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-110-2005-दो-ए (3) डी. ई. सी. दिनांक 30 अगस्त 2006 के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को, यदि वे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं तो पद पर स्थायी नहीं किया जाएगा और उनकी वेतनवृद्धि रोक ली जाएगी और विकास खण्ड अधिकारी की दशा में, यदि वे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं तो कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी. निचली ग्रेड में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित वेतनवृद्धि दी जाएगी.

सुदेश कुमार मालवीय, उपसचिव.

अनुसूची—एक

(नियम-5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1.	विकास आयुक्त	1	भा.प्र.से.	भा.प्र.से. वेतनमान
2.	संचालक, ग्रामीण रोजगार	1	भा.प्र.से.	भा.प्र.से. वेतनमान
3.	अतिरिक्त संचालक	9	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8700
4.	संयुक्त आयुक्त (विकास)	40	प्रथम श्रेणी	वेतन बैण्ड-3 15600—39100+7600
5.	उपायुक्त (विकास)	125	प्रथम श्रेणी	वेतन बैण्ड-3 15600—39100+6600
राजपत्रित सेवा—द्वितीय श्रेणी				
6.	लेखा अधिकारी	3	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैण्ड-2, 9300—34800+4200
7.	सांख्यिकी अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैण्ड-2, 9300—34800+4200
8.	शोध अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैण्ड-2, 9300—34800+4200
9.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	265	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैण्ड-2, 9300—34800+4200
10.	विकास खण्ड अधिकारी	285	द्वितीय श्रेणी	वेतन बैण्ड-2, 9300—34800+3600

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	1. विकास आयुक्त	1	भा.प्र.से. काडर	—	—
	2. संचालक ग्रामीण रोजगार	1	भा.प्र.से. काडर	—	—
	3. अतिरिक्त संचालक	9	—	100 प्रतिशत	—
	4. संयुक्त आयुक्त (विकास)	40	—	100 प्रतिशत	—
	5. उपायुक्त (विकास)	125	—	100 प्रतिशत	—
	6. लेखा अधिकारी	3	—	100 प्रतिशत	—
	7. सांख्यिकी अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—
	8. शोध अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—
	9. अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	265	65 प्रतिशत	35 प्रतिशत	—
	10. विकास खण्ड अधिकारी	285	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	71 पदों पर 25 प्रतिशत भर्ती उन विकास विस्तार अधिकारियों की, जो स्नातक हों और जिन्होंने सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा उन सहायक विकास विस्तार अधिकारियों की, जो स्नातक हों और जिन्होंने सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हों सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा होगी.

अनुसूची—तीन
(नियम-8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग.	अतिरिक्त विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	—
	विकासखण्ड अधिकारी	21	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	—

अनुसूची—चार
(नियम-13 तथा 14 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कालम (3) के पद पर पदोन्नति के लिए कालम (2) के पद पर न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग.	संयुक्त आयुक्त विकास	अतिरिक्त संचालक	5 वर्ष	(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य—अध्यक्ष (2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग—सदस्य (3) विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश—सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि—सदस्य
	उप आयुक्त (विकास)	संयुक्त आयुक्त (विकास)	5 वर्ष	—तदैव—
	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	उप आयुक्त (विकास)	5 वर्ष	—तदैव—
	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी.	5 वर्ष	—तदैव—
	विकासखण्ड अधिकारी	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत).	5 वर्ष	—तदैव—
	विकास विस्तार अधिकारी	विकास खण्ड अधिकारी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी और विकास विस्तार अधिकारी के पद पर न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा जिसमें से विकास विस्तार अधिकारी के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा हो.	

Bhopal 17 Januray 2014

No. S. 238-XXII-स्था.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Panchayat and Rural Development (Gazetted) Recruitment Rules, 1988, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 6, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—
“(b) By Departmental Promotion/Limited Departmental Examination of members of the service.”;
2. In rule 8,—
 - (i) in clause (c), in sub-clause (i), for the figure and word “38 years”, the figure and word “45 years” shall be substituted.
 - (ii) in clause (c), in sub-clause (ii), for the figure and word “38 years”, the figure and word “45 years” shall be substituted.
 - (iii) in clause (d), for the figure and word “35 years”, the figure and word “45 years” shall be substituted.
 - (iv) in clause (h), in sub-clause (i), for the figure and word “38 years”, the figure and word “45 years” shall be substituted.
 - (v) after clause (i), the following note shall be added at the end, namely :—

“**Note:** In any case, maximum age limit shall not exceed 45 years for any category including all kinds of relaxations. The maximum age limit shall be calculated according to Circular No.C-3-11 dated 3.11.2012 and 20.11.2012.
3. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

“**9. Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him appearing in the examination/selection.

 - (2) A candidate shall be disqualified for appointment in the service, who is married before the minimum age fixed for marriage i.e. 21 years for male candidate and 18 years for female candidate.
 - (3) A candidate shall be disqualified for appointment in the service, who has more than two living children one of whom is born on or after 26th day of January, 2001:

Provided that such candidate shall not be disqualified for appointment in the service, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two living children are born.

- (4) A candidate shall be disqualified for appointment in the service, who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such case is pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of criminal case.

4. In rule 11,-

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) For direct recruitment, 16%, 20% and 14% vacant posts shall be reserved for those candidates who are the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.

(ii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without prior permission of the Government and vacancies shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next selection.

5. In rule 13, in sub-rule (3), for the figure and word “15 percent”, the figure and word “16 percent” , for the figure and word “18 percent” the figure and word “20 percent” and for the figure and word “ 33 1/3 percent” the figure and word “36 percent” shall be substituted respectively.

6. After rule 19, the following Note shall be added, namely :—

Note : According to Home Department’s Circular No. F3-54/98/two-A (3) D.E.C. dated 19.03.1999, it is compulsory to pass departmental examination for the subject, Panchayat Raj Administration Law and Procedure for Additional Assistant Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat) with higher grade and for Block Development Officer with lower grade.

According to Home Department’s Notification No. F 3-110/2005/two-A (3) D.E.C. dated 30.8.2006 during the period of probation, Additional Assistant Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat) shall not be confirmed on the post and his increment shall be withheld, if he fails to clear the departmental examination and in case of Block Development Officer no increment shall be granted if he fails to clear the departmental examination. The regular increments shall be granted after passing the departmental examination with lower grade.

SUDESH KUMAR MALVIYA, Dy. Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

(Classification, Pay Scale and Number of posts included in the Service)

S.No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Development Commissioner	1	I.A.S.	I.A.S. Scale
2.	Director, Rural Employment	1	I.A.S.	I.A.S. Scale

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Additional Director	9	Class I	37400-67000+8700
4.	Joint Commissioner (Development)	40	Class I	Pay Band-3 15600-39100+7600
5.	Deputy Commissioner (Development)	125	Class I	Pay Band-3 15600-39100+6600
Gazetted Service Class-II				
6.	Account Officer	3	Class II 34800+4200	Pay Band-2, 9300-34800+4200
7.	Statistical Officer	1	Class-II 34800+4200	Pay Band-2, 9300-34800+4200
8.	Research Officer	1	Class II 34800+4200	Pay Band-2, 9300-34800+4200
9.	Additional Assistant Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat)	265	Class II	Pay Band-2, 9300-34800+4200
10.	Block Development Officer	285	Class II 34800+3600	Pay Band-2, 9300-34800+3600

SCHEDULE-II
(See rule 6)

Name of Department	Name of service and post	Total number of duty posts	Percentage of number of posts to be filled in		
			By direct recruitment	By promotion of the substantive members of the service	By promotion through limited departmental examination
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panchayat and Rural Development Department	1. Development Commissioner	1	I.A.S. Cadre	-	-
	2. Director, Rural Employment	1	I.A.S. Cadre	-	-
	3. Additional Director	9	-	100%	-
	4. Joint Commissioner (Development)	40	-	100%	-
	5. Deputy Commissioner (Development)	125	-	100%	-
	6. Account Officer	3	-	100%	-
	7. Statistical Officer	1	-	100%	-
	8. Research Officer	1	-	100%	-
	9. Additional Assistant Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat)	265	65%	35%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10. Block Development Officer	285	50%	25%	25% recruitment on 71 posts shall be made by promotion through limited departmental examination of Development Extension Officers who are graduate and completed 5 years of service and Assistant Development Extension Officer who are graduate and completed 10 years of service.

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of Department (1)	Name of Posts (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational qualification (5)	Remarks (6)
Panchayat and Rural Development Department	Additional Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat)	21 years	40 years	Graduation from a recognized University.	—
	Block Development Officer	21 years	40 years	Graduation from a recognized University.	—

SCHEDULE-IV
(See rule 13 and 14)

Name of the Department (1)	Name of service or post which promotion is to be made (2)	Name of Service of or post to which promotion is to be made (3)	Minimum services in the post of column (2) for promotion in the post of column (3) (4)	Members of the Departmental Promotion Committee (5)
Panchayat and Rural Development Department.	joint Commissioner (Development).	Additional Director	5 years	<ol style="list-style-type: none"> Chairman of the Public Services Commission or any member nominated by him—Chairman. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department—member Development Commissioner Madhya Pradesh—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4. Representative of Schedule Cates/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes Member.
	Deputy Commissioner (Development).	Joint Commissioner (Development).	5 years	—do—
	Additional Assiatant Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat).	Deputy Commissioner (Development)	5 years	—do—
Pamchayat and Rural Development Department.	Superintendent	Account Officer	5 years	—do—
	Assistant Statistical Officer.	Research Officer/ Statistical Officer.	5 years	—do—
	Block Development Officer.	Additional Assistant Development Commissioner (Chief Executive Officer, Janpad Panchayat).	5 years	—do—
	Development Extension Officer.	Block Development Officer.	Minimum 18 years service on the post of Assistant Development Extension Officer and Development Extension Officer out of which minimum 3 years regular services on the post of Development Extension Officer.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार मालवीय, उपसचिव.